(1)

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0-अपीलवाद सं0-01/2023 101 पटना, दिनांक- 22/04/24

आदेश

निबंधन पदाधिकारी सह-मुख्य अभियंता, यो0+अनु0+भू0, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-1167 दिनांक-08.12.2022 द्वारा संवेदक मो0 शब्बीर गणी, पिता- मो0 अब्दुल गणी, रश्मी नगर, सहादत हुसैन लेन, बरहारपुर, जिला- भागलपुर, पिन कोड- 812001 (निबंधन सं0- MWRD1219C2IN1174 श्रेणी-ii) को लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर के निविदा आमंत्रण सूचना सं0-03/2021-22 के ग्रुप सं0-01, 02 तथा 03 के अन्तर्गत क्रमशः दरगाह वीयर के जीर्णोंद्धार कार्य, दामूचक वीयर का जीर्णोंद्धार कार्य तथा ग्राम- रामचन्द्रपुर के निकट बभनगामा मौजा में वीयर का जीर्णोंद्धार कार्य से संबंधित कार्यों के आवंटन के बावजूद एकरारनामा नहीं करने के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के नियम-11(क)(II) में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के आलोक में 10 वर्षों के लिए कालीकृत किया गया ।

2. संवेदक द्वारा निबंधन पदाधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपर मुख्य सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना सह-अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया । दिनांक-24.05.2023 को अपील की सुनवाई की गयी । सुनवाई के दौरान संवेदक द्वारा पूरक अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि यद्यपि उनके द्वारा निबंधन पदाधिकारी के कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर समर्पित किया गया था परन्तु निबंधन पदाधिकारी द्वारा उनके प्रत्युत्तर (स्पष्टीकरण) पर विचार किये बिना ही उन्हें कालीकृत कर दिया गया ।

3. निबंधन पदाधिकारी को संवेदक के अपील/पूरक अपील में अंकित तथ्यों के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया । निबंधन पदाधिकारी सह-अभियंता प्रमुख, लघु जल ससाधन विभाग, पटना के पत्रांक-159 दिनांक-30.01.2024 द्वारा वांछित प्रतिवेदन समर्पित किया गया । अभियंता प्रमुख के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, भागलपुर के पत्रांक-480, 481 एवं 482 दिनांक-18.11.2021 द्वारा विभागीय निविदा आमंत्रण सूचना सं0-03/2021-22 के समूह-01, 02 तथा 03 का कार्य आवंटित किया गया ।

4. उक्त प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर के पत्रांक-1242, 1243 तथा 1244 दिनांक-20.11.2021 द्वारा संवेदक को आवंटित कार्य का एकरारनामा करने हेतु नियमानुसार अग्रधन एवं अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) के रूप में क्रमशः रुपये 7,40,900/-, रुपये 7,90,200/- एवं रुपये 12,78,600/- कुल रुपये 28,09,700/- (अठाईस लाख नौ हजार सात सौ रुपये) मात्र की राशि प्रमंडलीय कार्यालय में समर्पित करने के लिए निदेशित किया गया ।

5. दिनांक-12.03.2024 को सुनवाई के क्रम में संवेदक द्वारा व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया । साथ ही निबंधन पदाधिकारी द्वारा भी मामले से संबंधित विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी उपस्थापित की गयी ।

6. संवेदक द्वारा उनके अपील अभ्यावेदन में मुख्य रूप से निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया -

(i) विभाग से संबंधित पूर्व में निष्पादित कार्यों का भुगतान नहीं होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी थी, जिसके कारण उनके द्वारा उन्हें आवंटित कार्यों से संबंधित एकरारनामा नहीं किया जा सका ।

(ii) योजना स्थल पर जल-जमाव एवं आस-पास के स्थलों पर फसल लगे होने के कारण कार्य प्रारम्भ करने में कठिनाई थी ।

7. निबंधन पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में संवेदक के इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि संवेदक द्वारा कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर समर्पित किया गया था परन्तु तत्कालीन निबंधन पदाधिकारी द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया था ।

8. चूँकि निबंधन पदाधिकारी द्वारा संवेदक के स्पष्टीकरण पर तत्समय विचार नहीं किया गय था। इसलिए अपीलीय प्राधिकार के स्तर से उनके स्पष्टीकरण पर भी विचार किया गया । संवेदक के द्वारा इस तथ्य का उल्लेख किये जाने पर कि पूर्व के विभागीय कार्यों का निष्पादन के बावजूद भुगतान नहीं किया गया है, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर को दिनांक-20.11.2021 (जिस तिथि को संवेदक को एकरारनामा हेतु प्रथम बार निदेशित किया गया) तक के मापी पुस्त में प्रविष्ट कार्य एवं तदनुरूप बकाया के भुगतान की वास्तविक स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया ।

9. अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-477 दिनांक-08.04.2024 के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर के पत्रांक-536 दिनांक-08.04.2024 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर के एकरारनामा सं0-06F2/2020-21 एवं 07F2/2020-21 से संबंधित कार्य का क्रमशः रुपये 3,28,390/-एवं रुपये 16,08,547/- कुल रुपये 19,36,937/- (उन्नीस लाख छत्तीस हजार नौ सौ सैंतीस रुपये) मात्र का भुगतान नहीं किया गया था ।

10. अपीलीय प्राधिकार द्वारा संवेदक के स्पष्टीकरण/अपील/पूरक अपील एवं अभियंता प्रमुख के माध्यम से प्राप्त कार्यपालक अभियंता के प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि संवेदक का दिनांक-20.11.2021 की तिथि तक मात्र रुपये 19,36,937/- ही बकाया था, जबकि उनके द्वारा अग्रधन एवं अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) के रूप में कुल रुपये 28,09,700/- (अठाईस लाख नौ हजार सात सौ रुपये) की राशि प्रमंडलीय कार्यालय में जमा कराया जाना था । संवेदक को अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन करने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेना चाहिए था । एक बार कार्य आवंटित होने के बाद संवेदक द्वारा ससमय एकरारनामा नहीं करना सर्वथा नियम विरूद्ध है ।

अतएव **सम्यक् समीक्षोपरान्त संवेदक मो0 शब्बीर गणी, पिता- मो0 अब्दुल गणी, रश्मी नगर, सहादत हुसैन लेन, बरहारपुर, जिला- भागलपुर, पिन कोड- 812001 (निबंधन सं0-MWRD1219C2IN1174 श्रेणी-ii) के संबंध में मुख्य अभियंता, यो0+अनु0+भू0, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आदेश ज्ञापांक-1167 दिनांक-08.12.2022 को संशोधित करते हुए संवेदक को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम-11(क)(ii) के तहत 20 (बीस) माह के लिए कालीकृत किया जाता है । यह आदेश दिनांक-08.12.2022 की तिथि (निबंधन प्राधिकार द्वारा निर्गत आदेश की तिथि) से ही प्रभावी होगा ।**

ह0/-

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक- 1853 पटना, दिनांक- 22/04/24

स्पीड पोस्ट/ई0-मेल

प्रतिलिपिः- मो0 शब्बीर गणी, पिता- मो0 अब्दुल गणी, रश्मी नगर, सहादत हुसैन लेन, बरहारपुर, जिला- भागलपुर, पिन कोड- 812001 (E-mail - mdshabbirghani@rediffmail.com) को सूचनार्थ प्रेषित ।

19/4/24

सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0-अपीलवाद सं0-01/2023 101 पटना, दिनांक- 22/04/24

आदेश

निबंधन पदाधिकारी सह-मुख्य अभियंता, यो0+अनु0+भू0, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-1167 दिनांक-08.12.2022 द्वारा संवेदक मो0 शब्बीर गणी, पिता- मो0 अब्दुल गणी, रश्मी नगर, सहादत हुसैन लेन, बरहारपुर, जिला- भागलपुर, पिन कोड- 812001 (निबंधन सं0- MWRD1219C2IN1174 श्रेणी-ii) को लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर के निविदा आमंत्रण सूचना सं0-03/2021-22 के ग्रुप सं0-01, 02 तथा 03 के अन्तर्गत क्रमशः दरगाह वीयर के जीर्णोद्धार कार्य, दामूचक वीयर का जीर्णोद्धार कार्य तथा ग्राम- रामचन्द्रपुर के निकट बभनगामा मौजा में वीयर का जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित कार्यों के आवंटन के बावजूद एकरारनामा नहीं करने के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के नियम-11(क)(II) में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के आलोक में 10 वर्षों के लिए कालीकृत किया गया ।

2. संवेदक द्वारा निबंधन पदाधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपर मुख्य सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना सह-अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया । दिनांक-24.05.2023 को अपील की सुनवाई की गयी । सुनवाई के दौरान संवेदक द्वारा पूरक अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि यद्यपि उनके द्वारा निबंधन पदाधिकारी के कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर समर्पित किया गया था परन्तु निबंधन पदाधिकारी द्वारा उनके प्रत्युत्तर (स्पष्टीकरण) पर विचार किये बिना ही उन्हें कालीकृत कर दिया गया ।

3. निबंधन पदाधिकारी को संवेदक के अपील/पूरक अपील में अंकित तथ्यों के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया । निबंधन पदाधिकारी सह-अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-159 दिनांक-30.01.2024 द्वारा वांछित प्रतिवेदन समर्पित किया गया । अभियंता प्रमुख के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, भागलपुर के पत्रांक-480, 481 एवं 482 दिनांक-18.11.2021 द्वारा विभागीय निविदा आमंत्रण सूचना सं0-03/2021-22 के समूह-01, 02 तथा 03 का कार्य आवंटित किया गया ।

4. उक्त प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर के पत्रांक-1242, 1243 तथा 1244 दिनांक-20.11.2021 द्वारा संवेदक को आवंटित कार्य का एकरारनामा करने हेतु नियमानुसार अग्रधन एवं अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) के रूप में क्रमशः रुपये 7,40,900/-, रुपये 7,90,200/- एवं रुपये 12,78,600/- कुल रुपये 28,09,700/- (अठाईस लाख नौ हजार सात सौ रुपये) मात्र की राशि प्रमंडलीय कार्यालय में समर्पित करने के लिए निदेशित किया गया ।

5. दिनांक-12.03.2024 को सुनवाई के क्रम में संवेदक द्वारा व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया । साथ ही निबंधन पदाधिकारी द्वारा भी मामले से संबंधित विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी उपस्थापित की गयी ।

6. संवेदक द्वारा उनके अपील अभ्यावेदन में मुख्य रूप से निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया -

(i) विभाग से संबंधित पूर्व में निष्पादित कार्यों का भुगतान नहीं होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी थी, जिसके कारण उनके द्वारा उन्हें आवंटित कार्यों से संबंधित एकरारनामा नहीं किया जा सका ।

(ii) योजना स्थल पर जल-जमाव एवं आस-पास के स्थलों पर फसल लगे होने के कारण कार्य प्रारम्भ करने में कठिनाई थी ।

(13)

7. निबंधन पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में संवेदक के इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि संवेदक द्वारा कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर समर्पित किया गया था परन्तु तत्कालीन निबंधन पदाधिकारी द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया था ।

8. चूँकि निबंधन पदाधिकारी द्वारा संवेदक के स्पष्टीकरण पर तत्समय विचार नहीं किया गय था। इसलिए अपीलीय प्राधिकार के स्तर से उनके स्पष्टीकरण पर भी विचार किया गया । संवेदक के द्वारा इस तथ्य का उल्लेख किये जाने पर कि पूर्व के विभागीय कार्यों का निष्पादन के बावजूद भुगतान नहीं किया गया है, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर को दिनांक-20.11.2021 (जिस तिथि को संवेदक को एकरारनामा हेतु प्रथम बार निदेशित किया गया) तक के मापी पुस्त में प्रविष्ट कार्य एवं तदनुरूप बकाया के भुगतान की वास्तविक स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया ।

9. अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-477 दिनांक-08.04.2024 के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर के पत्रांक-536 दिनांक-08.04.2024 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर के एकरारनामा सं0-06F2/2020-21 एवं 07F2/2020-21 से संबंधित कार्य का क्रमशः रुपये 3,28,390/-एवं रुपये 16,08,547/- कुल रुपये 19,36,937/- (उन्नीस लाख छत्तीस हजार नौ सौ सैंतीस रुपये) मात्र का भुगतान नहीं किया गया था ।

10. अपीलीय प्राधिकार द्वारा संवेदक के स्पष्टीकरण/अपील/पूरक अपील एवं अभियंता प्रमुख के माध्यम से प्राप्त कार्यपालक अभियंता के प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि संवेदक का दिनांक-20.11.2021 की तिथि तक मात्र रुपये 19,36,937/- ही बकाया था, जबकि उनके द्वारा अग्रधन एवं अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) के रूप में कुल रुपये 28,09,700/- (अठाईस लाख नौ हजार सात सौ रुपये) की राशि प्रमंडलीय कार्यालय में जमा कराया जाना था । संवेदक को अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन करने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेना चाहिए था । एक बार कार्य आवंटित होने के बाद संवेदक द्वारा ससमय एकरारनामा नहीं करना सर्वथा नियम विरूद्ध है ।

अतएव **सम्यक् समीक्षोपरान्त संवेदक मो0 शब्बीर गणी, पिता- मो0 अब्दुल गणी, रश्मी नगर, सहादत हुसैन लेन, बरहारपुर, जिला- भागलपुर, पिन कोड- 812001 (निबंधन सं0-MWRD1219C2IN1174 श्रेणी-ii) के संबंध में मुख्य अभियंता, यो0+अनु0+भू0, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आदेश ज्ञापांक-1167 दिनांक-08.12.2022 को संशोधित करते हुए संवेदक को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम-11(क)(ii) के तहत 20 (बीस) माह के लिए कालीकृत किया जाता है । यह आदेश दिनांक-08.12.2022 की तिथि (निबंधन प्राधिकार द्वारा निर्गत आदेश की तिथि) से ही प्रभावी होगा ।**

ह0/-

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

स्पीड पोस्ट/ ई0-मेल

प्रतिलिपिः- मो0 शब्बीर गणी, पिता- मो0 अब्दुल गणी, रश्मी नगर, सहादत हुसैन लेन, बरहारपुर, जिला- भागलपुर, पिन कोड- 812001 (E-mail - mdshabbirghani@rediffmail.com) को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

D/Alok/Mislenious-2020

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 1853 पटना, दिनांक- 22/04/24

ई0-मेल
स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपिः- अपर सचिव (निगरानी), लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/विभागीय आई0टी0 कोषांग को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19/4/24

सरकार के अपर सचिव